न्यायालय न्यायिक मजि0,घाटमपुर,कानपुर देहात।

फौजदारी वाद सं. 747/16

सरकार बनाम राकेश निषाद।

धारा 419,420,467,468 भा0द0सं0

थाना सजेती,कानपुर नगर।

आरोप

मै, विजय कुमार, न्यायिक मजि0,घाटमपुर,कानपुर देहात आप अभियुक्त राकेश निषाद को एतद द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हू।

1– यह कि दिनांक 5.10.15 समय 15.45 बजे ग्राम निवधा घाटमपुर थाना सजेती कानपुर नगर मे आबकारी निरीक्षक द्वारा आपके कब्जे से 90 पौवे देशी शराब बरामद की गयी । इस प्रकार आपने धारा 60 आवकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने 90 पौवे माधुरी ब्राण्ड की नकली होलो ग्राम नकली रेपर लगाकर बेईमानी से धोखा देकर एक मूल्यावान प्रमाणपत्र मे परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार आप ने भा0द0सं. की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने 90 पौवे माधुरी ब्राण्ड की नकली होलो ग्राम नकली रेपर लगाकर एक मूल्यावान प्रतिभूत ,इत्यादि की कूटरचना की। इस प्रकार आप ने भा0द0सं. की धारा 467 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने 90 पौवे माधुरी ब्राण्ड की नकली होलो ग्राम नकली रेपर लगाकर छल के प्रयोजन से कूट रचना की । इस प्रकार आपने भा द सं की धारा 468 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने 90 पौवे माधुरी ब्राण्ड की नकली होलो ग्राम नकली रेपर लगाकर कूट रचित दस्तावेज को असली के रूप मे प्रयोग मे लाये । इस प्रकार आपने भा द सं की धारा 471 के अधीन दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

एतद द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोपो से इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

दिनांक 28.9..2017

(विजय कुमार),
न्यायिक मजि0,घाटमपुर,
कानपुरदेहात।

आरोप पढकर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक 28.9.2017

(विजय कुमार),
न्यायिक मजि0,घाटमपुर,
कानपुर देहात।